

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 06.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

### वारण्टी

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता इस्माइल पुत्र रसूल निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।



## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1493 ने विवाद को कराया शान्त** – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 11457 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट एवं विवाद होने के संबंध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 09 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी से अस्पताल पहुंचाया गया तथा इस सम्बन्ध में थाना बखिरा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**पीआरवी स्टाफ** – आरक्षी दिनेश यादव, आरक्षी सुनील सिंह, हो0चा0 राकेश कनौजिया।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 03 वाहन चालान, 53 वाहनो से 14600 रु0 सम्मन**

### **शुल्क वसूल**

आज दिनांक 06-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 03 वाहन चालान, 53 वाहनो से 14600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

## शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 07 अभियुक्त गिरफ्तार –

- 1 - दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 2 – महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 3 – बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 4 - धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



## एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 06-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 18 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 65 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।